

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 29/04/2025

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए दवा की आपूर्ति हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को दवा भंडार मद में कुल राशि रु० 50,00,00,000/- (रुपये पचास करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के सकल्प स०-545(12), दिनांक-11.06.2019 द्वारा दवा भंडार मद मे बजट उपबध का 80 प्रतिशत राशि बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना एव 20 प्रतिशत राशि सबधित स्वास्थ्य संस्थानो को दिये जाने का सकल्प निर्गत है।

2- वर्णित स्थिति मे महाप्रबधक (वित्त एव लेखा), बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्राक-663, दिनांक-24.04.2025 द्वारा दवा भंडार हेतु किये गये माँग के आलोक मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विपत्र कोड-20-2210031030001 अन्तर्गत स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 मे विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के लिए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना हेतु दवा भंडार मद मे कुल रु० 50,00,00,000/- (रुपये पचास करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या 2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2356/वि०(2), दिनांक-12.04.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08, 3388/वि०(2), दिनांक-18.04.11 एव 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है एव वित्तीय नियमों के अनुपालन की सम्पूर्ण जिम्मेवारी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना की होगी।

4- इस राशि के व्यय का वहन स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय, माँग स०-20 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी, लघु शीर्ष-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपशीर्ष-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विपत्र कोड-20-2210031030001 अन्तर्गत (21-02) दवा भंडार मद मे उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

5- इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6- अवर सचिव-सह-निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो दवा भंडार मद की राशि को पी०एल० एकाउन्ट स०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID-14359 मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे।

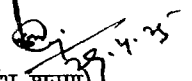
7- बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का धन-ऋण ज्ञापन व ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए, उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेगे।

8- प्रारूप मे आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या-7/प्राथमिक स्वा० केन्द्र-01-01/2025-26 के पृष्ठ-06/टि० पर प्राप्त है।

9- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

- 10- इसमें अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।
11- यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन


(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव

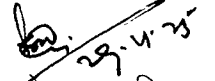
ज्ञापाक:-7 / प्राथमिक स्वा०केन्द्र-01-01 / 2025-26- 18 (7) / स्वा०,पटना,दिनांक-29/04/2025

प्रतिलिपि— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रभारी पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— मा० मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-7/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव